

अति—आवश्यक

कार्यालय अतिः पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प-६ (१४) पु.अ./म.अ.नि.प्र./१३/७८९ - ८५० दिनांक : २५-०१-१३

परिपत्र

विषय: लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून “लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO))” लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवंबर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 18 वर्ष की आयु से कम के बालक/बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। यह अधिनियम बच्चों (बालक/बालिका) को सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, गंभीर लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण/हिंसा, लैंगिक प्रताड़ना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से लवाना, अश्लील टिप्पणियां एवं गालियां देना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं बच्चों लो खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न/शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

राज्य में बढ़ते लैंगिक अपराध राज्य सरकार एवं पुलिस के लिए चिंतनीय है। ऐसी स्थिति में इन घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन चुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी अथवा पुलिस के सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी (आई.ओ.) बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा प्रत्येक मामले में उनके द्वारा इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी:-

- बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाने के झूटी अधिकारी/महिला एवं बाल हेल्प डेस्क द्वारा सक्रियता से कार्य किया जाकर बाल कल्याण अधिकारी या

उपस्थित अधिकारी को सूचित करेगा। उक्त द्वारा इस सम्बन्ध में प्राथमिकता से त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

2. जब बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन या चाईल्ड हैल्प लाईन (1098) पर फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है तो जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष और ऊटी अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए बिना विलम्ब के घटना स्थल पर पहुंचेंगे। किसी भी बच्चे को शिकायत के लिए थाने पर आने की आवश्यकता नहीं होगी ना ही किसी भी स्थिति में बच्चे को थाने पर बुलाया जायेगा।
3. अधिनियम की धारा 19 (2) के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बच्चे के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में अनिवार्यता से दैनिक डायरी (रोजनामचा) में एक प्रविष्टि की जायेगी जिसे शिकायत करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जायेगा तथा थाने स्तर पर संघारित रजिस्टर में भी रिपोर्ट दर्ज की जायेगी।
4. नियम 4 (2)(क) के क्रम में बाल कल्याण अधिकारी द्वारा 154 सीआरपीसी के तहत तत्काल प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जायेगी जिसमें इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त भा०दं०सं०, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को भी जोड़ा जायेगा।
5. नियम 4 (2)(क) के क्रम में बाल कल्याण अधिकारी, उसका नाम, पदनाम, पता एवं उसके पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण से शिकायत करने वाले व्यक्ति को अवगत करायेगा।
6. बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शिकायत करने वाले व्यक्ति को तत्काल एफआईआर की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
7. जब बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के सभी मामलों की जांच पुलिस विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2012 के क्रम में संबंधित वृत्ताधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त स्वयं द्वारा की जायेगी। पुलिस थाने के संबंधित बाल कल्याण अधिकारी ऐसे प्रकरणों में केस ऑफिसर होंगे। ऐसे अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

8. संबंधित जांच अधिकारी द्वारा बिना किसी देरी (24 घंटे के अंदर) पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किए जायेंगे तथा अपराध की प्रकृति एवं आरोपी की पहचान की जायेगी।
9. पीड़ित बच्चे के बयान उसके घर या जहां पर बच्चा स्वयं को सहज महसूस करें, वहां उसके परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है की उपस्थिति में/संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/समर्थन व्यक्ति/बाल कल्याण समिति द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।
10. पीड़ित बच्चे के बयान में मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को सम्मिलित किया जायेगा तथा बच्चे के द्वारा दिए गए बयान को अक्षरशः दर्ज किया जाएगा तथा सभी प्रकरणों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जायेगी।
11. जहां अपराध परिवार के सदस्य द्वारा किया गया है या उनकी लिप्ततता पाई जाने पर पीड़ित के बयान एवं कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. किसी भी स्थिति में बच्चे के बयान या कार्यवाही के दौरान बच्चे से सवाल जवाब में दबाव नहीं दिया जायेगा जिसके लिए बच्चा तैयार नहीं है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का नैतिक निर्णय थोपा नहीं जाए जिससे कि वह स्वयं को दोषी या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार महसूस करें।
13. संबंधित जांच अधिकारी द्वारा पीड़ित अथवा उसके परिवार के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारें में टिप्पणी नहीं की जायेगी। शिकायत दर्ज करने अथवा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना भाषा का उपयोग नहीं किया जायेगा।
14. अधिनियम की धारा 19 (6) के तहत बाल कल्याण अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर प्रत्येक मामले की रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति और अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिकृत विशेष न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को अनिवार्यता से प्रेषित की जायेगी।
15. जांच अधिकारी, जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी के सहयोग से पीड़ित बच्चे को चिकित्सा जांच के लिए संबंधित चिकित्सालय में लेकर जायेगा। उक्त जांच नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या दं0प्र0सं0 164(ए) तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार घटना के 24 घंटे के अंदर संपादित की जायेगी। चिकित्सा जांच के दौरान पीड़ित बच्चे के परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा और विश्वास करता है

की उपस्थिति में/संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/समर्थन व्यक्ति/बाल कल्याण समिति द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति रहेगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुलिस की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही कर पीड़ित बच्चे के साथ हुई घटना का विस्तृत विवरण दर्ज करेगा। जहां तक संभव हो पीड़ित का डी.एन.ए. परीक्षण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पीड़ित बच्चे के आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के मामले में, संबंधित थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था हेतु नियम 4 (2) (ख) के अनुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकार मुआवजा स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम राहत हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
17. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में (आरोपी की पहचान परेड को छोड़कर) पीड़ित बच्चा एवं आरोपी संपर्क में नहीं आने चाहिए।
18. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि जांच दल 24 घंटे के अंदर अपराध स्थल का दौरा कर विस्तृत रूप से साक्ष्य एकत्रित करेगा जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों की स्थिति, यदि कोई हो, को भी दर्ज किया जायेगा।
19. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी तुरंत पीड़ित बच्चे के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में प्रेषित किए जायेंगे। फॉरेंसिक प्रयोगशाला प्राथमिकता के आधार पर सबूतों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट संबंधित जांच अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
20. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में प्राप्त शिकायत में परिवार/साझा घर का कोई व्यक्ति/देखभाल विहीन बच्चा अथवा किसी संस्था का कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी रिपोर्ट की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के तहत संरक्षण की जरूरत है के रूप में लिखित कारणों के साथ विस्तृत मूल्यांकन करने हेतु अनुरोध करेगा।
21. ऐसे प्रकरणों में बाल कल्याण समिति पीड़ित बच्चे के साथ तीन दिवस के अंदर आवश्यक निर्णय लेकर समर्थन व्यक्ति नियुक्त करेगा जो पूरे प्रकरण के दौरान पीड़ित बच्चे को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेगा। जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी इसकी सूचना जल्द से जल्द संबंधित न्यायालय को उपलब्ध करायेगा तथा समस्त कार्यवाही में पीड़ित बच्चे के साथ समर्थन व्यक्ति को भी जोड़ा जायेगा।

की उपस्थिति में/संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/समर्थन व्यक्ति/बाल कल्याण समिति द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति रहेगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुलिस की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही कर पीडित बच्चे के साथ हुई घटना का विस्तृत विवरण दर्ज करेगा। जहां तक संभव हो पीडित का डी.एन.ए. परीक्षण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पीडित बच्चे के आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के मामले में, संबंधित थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था हेतु नियम 4 (2) (ख) के अनुसार राजस्थान पीडित प्रतिकार मुआवजा स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम राहत हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
17. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में (आरोपी की पहचान परेड को छोड़कर) पीडित बच्चा एवं आरोपी संपर्क में नहीं आने चाहिए।
18. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि जांच दल 24 घंटे के अंदर अपराध स्थल का दौरा कर विस्तृत रूप से साक्ष्य एकत्रित करेगा जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों की स्थिति, यदि कोई हो, को भी दर्ज किया जायेगा।
19. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी तुरंत पीडित बच्चे के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में प्रेषित किए जायेगे। फॉरेंसिक प्रयोगशाला प्राथमिकता के आधार पर सबूतों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट संबंधित जांच अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
20. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में प्राप्त शिकायत में परिवार/साझा घर का कोई व्यक्ति/देखभाल विहीन बच्चा अथवा किसी संस्था का कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी रिपोर्ट की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के तहत संरक्षण की जरूरत है के रूप में लिखित कारणों के साथ विस्तृत मूल्यांकन करने हेतु अनुरोध करेगा।
21. ऐसे प्रकरणों में बाल कल्याण समिति पीडित बच्चे के साथ तीन दिवस के अंदर आवश्यक निर्णय लेकर समर्थन व्यक्ति नियुक्त करेगा जो पूरे प्रकरण के दौरान पीडित बच्चे को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेगा। जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी इसकी सूचना जल्द से जल्द संबंधित न्यायालय को उपलब्ध करायेगा तथा समस्त कार्यवाही में पीडित बच्चे के साथ समर्थन व्यक्ति को भी जोड़ा जायेगा।

22. बच्चों के लैंगिक शोषण हेतु तस्करी अथवा खरीद फरोख्त की सूचना मिलने पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शीघ्रताशीघ्र कार्रवाई की जायेगी। तस्करी अथवा खरीद फरोख्त में लिप्त संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त जेजे एकट, इप्टा, भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएं भी लगायी जायेगी।
23. शारीरिक / मानसिक विकलांग बच्चों के मामले में आवश्यक सहायता हेतु अधिनियम की धारा 26 (3) के कम में संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के सहयोग से विशेष शिक्षक / परामर्शदाता / अनुवादक / विशेषज्ञ की सेवाएं ली जायेगी।
24. जांच अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित बच्चे के दं0प्र0सं0 164 के तहत बयान संबंधित न्यायालय द्वारा मामले के पंजीकरण के तीस दिवस के अंदर पीड़ित बच्चे के परिवारजन / किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा और विश्वास करता है की उपस्थिति में / संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि / समर्थन व्यक्ति / विशेष शिक्षक / अनुवादक / बाल कल्याण समिति द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जायेगा। अधिनियम की धारा 37 के तहत संबंधित न्यायालय द्वारा मामलों का इन कैमरा ट्रायल सुनिश्चित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण एक वर्ष में किया जायेगा।
25. जांच अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / पुलिस को इस तरह के अपराधों की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा जिसका ज्ञान है अगर नहीं दी जाती है या दर्ज नहीं की जाती है तो सम्बंधित के विरुद्ध अधिनियम की धारा 21 तथा इस तरह की झूठी शिकायत दर्ज करने पर अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
26. बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम एक माह के अंदर पूरी की जाकर चालान संबंधित न्यायालय में दायर किया जायेगा।
27. बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में लिप्त 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (विधि से संघर्षरत) के सभी मामलों की कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संगत नियम, 2011 के अनुसार ही की जाएगी।
28. पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को लैंगिक अपराध में लिप्त व्यक्तियों द्वारा डराया अथवा धमकाया जाने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत नई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाकर कार्यवाही की जायेगी।

29. पीडित बच्चे की अभिरक्षा लैंगिक अपराध में लिप्त व्यक्तियों के कब्जे में होने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाकर बच्चे को मुक्त कराया जायेगा। पीडित बच्चे को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उसकी देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
30. नियम 4 (11) के अनुसार संबंधित जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा पीडित बच्चे एवं उसके परिवार को समय-समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, चालान एवं न्यायालय में प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जायेगा।
31. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा पीडित बच्चे या उसके परिवार को बाल कल्याण समिति में नियुक्त पैनल अधिवक्ता अथवा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
32. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को राजस्थान पीडित प्रतिकार स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत पीडित मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराया जायेगा।
33. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीकृत होने पश्चात प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिसमें पीडित बच्चे की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य है। संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना पीडित के प्रकरण को मीडिया में नहीं दिया जायेगा। न्यायालय की अनुमति के बिना यदि मीडिया या पुलिस द्वारा पीडित बच्चे की पहचान या प्रकरण का खुलासा किया जाता है तो अधिनियम की धारा 23 (4) एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 21 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
34. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा पीडित बच्चे के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग हेतु समर्थन व्यक्ति, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकार विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चाईल्ड लाईन अथवा अनुभवी स्वैच्छिक संगठन से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
35. जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण एवं न्यायपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

36. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राईट्स, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 28.12.2012 के तहत राज्य/जिला स्तर पर गठित महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ में बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध (पीड़ित बालक अथवा बालिका) के मामले भी संघारित किए जायेंगे। समस्त आनाधिकारीगण द्वारा बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संबंधित माह में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत एकजार्ड रिपोर्ट जिला स्तर पर गठित महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी। जिला महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ द्वारा मासिक एकजार्ड रिपोर्ट राज्य स्तर पर गठित महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी।
37. अधिनियम की धारा 11 में परिभाषित लैंगिक प्रताड़ना की रोकथाम हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा जिसमें विद्यालयों/कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों एवं त्यौहारों के आसपास बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़/प्रताड़ना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की जाकर कार्यवाही की जायेगी।
38. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त 14 नवम्बर, 2012 के पश्चात् कारित बाल लैंगिक अपराध प्रकरण जिनमें पुलिस जांच जारी है, में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं को जोड़ा जाकर निर्धारित प्रक्रिया का पालना किया जायेगा।
39. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर जांच अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारियों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
40. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से क्षेत्राधिकार में बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध प्रकरणों की जांच की निगरानी सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
41. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त प्रत्येक थाने में स्थापित महिला एवं बाल हेल्प डेस्क का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठकों में इसकी समीक्षा की जाएगी। बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई की कार्ययोजना तैयार की जाकर कार्यवाही की जायेगी।
42. अधिनियम की धारा 44 (1) के तहत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु अधिकृत किया गया है। आयोग द्वारा संबंधित प्रकरणों में जानकारी अथवा कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस

अधीक्षक/उपायुक्त जल्द से जल्द कार्यवाही सुनिश्चित कर आयोग को पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। राज्य स्तरीय महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक स्तर पर एकजाई सूचना आयोग को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाई पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के आदेश दिनांक 30.04.2012 के जरिये जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त (अध्यक्ष, विशेष किशोर पुलिस इकाई) इन दिशा—निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।


(आर.पी.सिंह)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(सिविल राईट्स) राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
6. समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति।
7. समस्त प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड।
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, राजस्थान पुलिस को पालनार्थ।
10. समस्त प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई को पालनार्थ।
11. समस्त प्रभारी, महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ।
12. आदेश पत्रावली।


(आर.पी.सिंह)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(सिविल राईट्स) राजस्थान